मध्यप्रदेश शासन

संसदीय कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

मध्यप्रदेश शासन

संसदीय कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

संसदीय कार्य विभाग

विभागीय मंत्री
डॉ. नरोत्तम मिश्रा

अपर मुख्य सचिव
श्री आई.सी.पी. केशरी

अपर सचिव
श्री राजेश गुप्ता

उप सचिव
श्री महेन्द्र सोनूने

अवर सचिव
श्री बृजराजेश्वर शर्मा
श्री एम.के. राजोरिया
श्री रविनीश तिवारी

विषय-सूची

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ
1.		विभाग की भूमिका एवं दायित्व	1
2.		विभाग की संरचना एवं बजट	2
3.		संसदीय कार्य नियमावली	3
4.		सामान्य प्रशासनिक कार्य	4-5
5.		प्रमुख विधायी कार्य	6-9
	5.1	सत्रों का बुलाया जाना	6
	5.2	संपन्न सत्रों का विवरण	6
	5.3	राज्यपाल का अभिभाषण	6
	5.4	वित्तीय कार्य	6
	5.5	विधि विषयक कार्य	7
	5.6	अध्यादेश	7-9
	5.7	शासकीय/संविहित संकल्प	9
	5.8	सभा के पटल पर रखे गए पत्र/प्रतिवेदन	9
	5.9	गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य	9
6.		आश्वासन, प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर, शून्यकाल आदि	10-11
	6.1	आश्वासन	10
	6.2	प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर	10
	6.3	शून्यकाल की सूचनाएं	11
	6.4	लोक लेखा समिति की सिफारिशें	11
	6.5	विधान सभा के लंबित कार्यों की समीक्षा	11
7.		समितियां	12-13
	7.1	विभागीय परामर्शदात्री समितियां	12
	7.2	अन्य समितियां	12-13
8.		माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायकों तथा भूतपूर्व विधायकों को देय वेतन, भत्ते आदि	14-17
	8.1	माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते	14
	8.2	माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष का स्वेच्छानुदान	14
	8.3	विधायकों के वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं	14-16
	8.4	भूतपूर्व विधायकों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं	16-17
		परिशिष्ट 1-4	18-24

		भाग-दो	
		पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ	
	1	प्रस्तावना	27
	2	उद्देश्य	27
	3	संरचना	27
	4	साधारण सभा/प्रबंध समिति	27
	5	अनुदान	27
	6	संसदीय विषयों में कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं	28-32
	7	पुण्य स्मरण	32
		परिशिष्ट एक-दो	33-36

अध्याय – 1
विभाग की भूमिका एवं दायित्व

1.1 भूमिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश कार्य आवंटन नियमों के अन्तर्गत विभाग को सौंपे गये कार्य परिशिष्ट-1 में दर्शाए गए हैं।

1.2 दायित्व निर्वहन

1.2.1 यह विभाग सरकार के विभिन्न विभागों से विधान सभा में लंबित विधेयकों, पुरःस्थापित किए जाने वाले नये विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में निकट सम्पर्क बनाए रखता है। विधान सभा में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले विभाग तथा विधि और विधायी कार्य विभाग, जो कि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों से सतत् सम्पर्क बनाए रखते हैं।

1.2.2 विभाग विधान सभा सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्तःसत्रावधि के दौरान इन समितियों की बैठकें आयोजित कराने की व्यवस्था करता है।

1.2.3 विभाग विधान सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन का भी अनुश्रवण करता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कई अन्य कार्य की मदें इस विभाग को आवंटित की गई हैं जिनमें विधान सभा सचिवालय और विभिन्न विभागों के बीच इस विभाग को समन्वयक की भूमिका का निर्वाह करना होता है। विधान सभा सदस्यों की सुविधाओं संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी यह विभाग करता है।

1.2.4 इस विभाग के अन्तर्गत पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1998 में की गई है, जो जन-प्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों, विद्यार्थियों तथा समाज के अन्य वर्गो के लिए संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन करती है।

1.3 वेबसाइट

संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट www.parliamentaryaffairs.mp.gov.in है।

अध्याय - 2
विभाग की संरचना एवं बजट

2.1 संरचना

विभाग के लिए कुल 50 पद स्वीकृत हैं, जिनकी जानकारी परिशिष्ट-2 पर दर्शायी गयी है।

2.2 बजट

यह एक गैर-योजना विभाग है, जिसमें केन्द्र/राज्य प्रवर्तित कोई योजना संचालित नहीं होती है। अतः जेण्डर आधारित बजट तैयार नहीं किया जाता है।

वर्ष 2020-2021 के बजट की जानकारी निम्नानुसार है-

(आंकड़े रुपयों में)

मद	बजट 2020-2021	
	आवंटन	व्यय (31.1. 2021 तक)
11 – वेतन	2,04,08,000	1,47,42,760
21 – यात्रा व्यय	1,00,000	-
22 – कार्यालय व्यय	16,45,000	3,40,203
24 – परीक्षा एवं प्रशिक्षण	1,000	-
31 – व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	25,40,000	18,05,922
33 – अनुरक्षण कार्य	1,19,000	47,760
6546 – पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना के लिए सहायक अनुदान – 42 आर्थिक सहायता/सहायक	1,70,00,000	1,36,00,000
6582 – भारतीय संसदीय संघ की मध्यप्रदेश शाखा को अनुदान	-	-
कुल योग मतदेय	4,18,13,000	3,05,36,645

2.3 विभाग द्वारा क्रय सामग्री में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से नियमानुसार सामग्री क्रय की गई है।

अध्याय - 3
संसदीय कार्य नियमावली

3.1 शासन के विभागों से संसदीय कार्य के विभिन्न विषयों पर कार्रवाई करने के लिए जिस कार्य-विधि का पालन अपेक्षित है उनका संकलन कर एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट कार्य-विधि की पुस्तिका "संसदीय कार्य नियमावली" वर्ष 1996 में विभाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका द्वितीय संस्करण जून, 2004 में प्रकाशित किया गया।

3.2 नियमावली में निम्नलिखित विषयों के संबंध में अनुसरित की जाने वाली कार्य-विधि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं :-

1	सामान्य अनुदेश
2	प्रश्न
3	सभा के पटल पर पत्रों का रखा जाना
4	स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, सरकारी वक्तव्य, प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चाएं तथा संकल्प
5	राज्यपाल का अभिभाषण
6	बजट
7	आश्वासन
8	विधि निर्माण
9	राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के संबंध में विधि निर्माण
10	प्रत्यायुक्त विधान/अधीनस्थ विधि निर्माण
11	विधान सभा समितियां
12	परामर्शदात्री समितियां
13	नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं
14	विविध

अध्याय – 4
सामान्य प्रशासनिक कार्य

नियुक्ति एवं पदोन्नति

कोई नवीन नियुक्ति नहीं की गई। पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण किसी की पदोन्नति नहीं हो सकी।

सेवानिवृत्ति तथा पेंशन

कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

न्यायालयीन प्रकरण

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं न्यायालय	पक्षकार	विषय	प्रभारी अधिकारी	स्थिति
1	WP No.25466 of 2003 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री पी.एन. सक्सेना विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	श्री बी.आर.शर्मा के अनुभाग अधिकारी पद पर संविलियन के विरूद्ध।	श्री रविनीश तिवारी, अवर सचिव	जवाबदावा प्रस्तुत। (IA 10307/2010 for Urgent hearing)
3	WPS No. 232 of 2005 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री बी.आर.शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	पूर्व दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने संबंधी।	श्री एम.के. राजोरिया, अवर सचिव	जवाबदावा प्रस्तुत। (Pending for Final hearing)
3	WP No. 14009 of 2008 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री अमित सक्सेना विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।	श्री राजेश गुप्ता, अपर सचिव	जवाबदावा प्रस्तुत। (Pending for Final hearing)
4	WP No. 4976 of 2013 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री कमलाकांत शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	विधान सभा सचिवालय द्वारा सेवाएं समाप्त करने के विरूद्ध।	श्री राजेश गुप्ता, अपर सचिव	जवाबदावा प्रस्तुत। (Pending for Final hearing)
5	WP No. 7348 of 2012 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री सत्यनाराण शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	विधान सभा सचिवालय द्वारा सेवाएं समाप्त करने के विरूद्ध।	श्री एम.के. राजोरिया, अवर सचिव	जवाबदावा प्रस्तुत। (Pending for Final hearing)

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं न्यायालय	पक्षकार	विषय	प्रभारी अधिकारी	स्थिति
6	WP No. 24475/2018 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री प्रदीप श्रीवास्तव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	श्री प्रदीप श्रीवास्तव, सहायक, तिलहन संघ की सेवाएं संसदीय विद्यापीठ में संविलियन करना।	श्री एम.के. राजोरिया, अवर सचिव	दिनांक 4.1.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत।
7	SLP(C) No. 16521 of 2017 माननीय उच्चतम न्यायालय	श्रीमती वंदना मांडरे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, पूर्व विधायक की पेंशन एवं अन्य सुविधाएं रोकने बाबत्।	श्री बी.आर.शर्मा, अवर सचिव	जवाबदावा प्रस्तुत।
8	WP (Civil) No. 439/2020 माननीय उच्चतम न्यायालय	श्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य विरूद्ध अध्यक्ष, म.प्र.विधान सभा एवं अन्य	विधान सभा में फ्लोर टेस्ट कराने के संबंध में	श्री प्रकाश उन्हाले, अपर आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को आदेश पारित।

'संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया' संबंधी प्रशिक्षण का अनिवार्य किया जाना

शासन के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) कर्मचारियों के लिए 'संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया' का तीन दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा आयोजित किये जायेंगे।

अध्याय - 5
प्रमुख विधायी कार्य

5.1 सत्रों का बुलाया जाना

संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधान-मण्डल के सदन को अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं और सदन का सत्रावसान कर सकते हैं तथा विधान सभा का विघटन कर सकते हैं।

कार्य आवंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य विभाग को सौंपा गया है।

5.2 संपन्न सत्रों का विवरण

क्र.	सत्र	दिनांक	अवधि	संपन्न बैठकें
1	मार्च-अप्रैल, 2020	16 मार्च से 13 अप्रैल, 2020	29 दिन	2
2	मार्च, 2020	24 से 27 मार्च, 2020	4 दिन	1
3	सितम्बर, 2020	21 से 23 सितम्बर, 2020	3 दिन	1

5.3 राज्यपाल का अभिभाषण

संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का विवरण निम्नानुसार है :-

अभिभाषण की तारीख	कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्तावक एवं अनुमोदन	चर्चा की तारीख
16 मार्च, 2020	श्री प्रवीण पाठक - प्रस्तावक श्री कुणाल चौधरी - समर्थक	-

5.4 वित्तीय कार्य

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 149 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य शासन का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निदेश दें।

संपादित वित्तीय कार्य का विवरण निम्नानुसार है –

सत्र	सम्पादित वित्तीय कार्य
सितम्बर, 2020	(1) वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की स्वीकृती। (2) वर्ष 2012-13 के आधिक्य व्यय की स्वीकृति

5.5 विधि विषयक कार्य

निम्नलिखित विधेयक पुर:स्थापित तथा पारित किए गए -

क्र.	विभाग	विधेयक	पुर:स्थापन	पारण
1	वित्त	1. मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 2. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2020 3. मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2020	21.9.2020 21.9.2020 21.9.2020	21.9.2020 21.9.2020 21.9.2020
2	राजस्व	1. मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 2. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020	21.9.2020 21.9.2020	21.9.2020 21.9.2020
3	नगरीय विकास एवं आवास	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020	21.9.2020	21.9.2020
4	वाणिज्यिक कर	1. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 2. मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2020	21.9.2020 21.9.2020	21.9.2020 21.9.2020

5.6 अध्यादेश

प्रतिवेदित अवधि में निम्नानुसार अध्यादेश प्रख्यापित किए गए:-

क्र.	विभाग	अध्यादेश	प्रख्यापन का दिनांक	पटल पर रखने का दिनांक
1	वित्त	मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020)	28.3.20	21.9.2020
2	वित्त	मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020)	28.3.20	-
3	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020)	1.5.20	21.9.2020
4	श्रम	मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन)अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020)	6.5.20	21.9.2020
5	वित्त	मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020)	24.7.2020	-
6	लोक सेवा प्रबंधन	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020)	19.8.2020	21.9.2020

क्र.	विभाग	अध्यादेश	प्रख्यापन का दिनांक	पटल पर रखने का दिनांक
7	श्रम	श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020)	20.8.2020	21.9.2020
8	सहकारित	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020)	24.8.2020	21.9.2020
9	नगरीय विकास एवं आवास	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020)	14.9.2020	21.9.2020
10	वाणिज्यिकर कर	मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020)	26.9.2020	-
11	नगरीय विकास एवं आवास	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020)	26.9.2020	-
12	नगरीय विकास एवं आवास	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020)	26.9.2020	-
13	उच्च शिक्षा	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020)	26.9.2020	-
14	गृह	मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2021)	9.1.2021	-
15	वित्त	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक ....) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)	11.1.2021	-
16	वाणिज्यिक कर	मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021)	11.1.2021	-
17	वाणिज्यिक कर	मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021)	11.1.2021	-
18	वाणिज्यिक कर	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021)	12.1.2021	-
19	उच्च शिक्षा	पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021)	12.1.2021	-
20	उच्च शिक्षा	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021)	12.1.2021	-
21	उच्च शिक्षा	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021)	12.1.2021	-

क्र.	विभाग	अध्यादेश	प्रख्यापन का दिनांक	पटल पर रखने का दिनांक
22	लोक सेवा प्रबंधन	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021)	12.1.2021	-
23	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021)	12.1.2021	-
24	उच्च शिक्षा	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2021)	13.1.2021	-
25	सहकारिता	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)	23.1.2021	-

5.7 शासकीय/संविहित संकल्प

प्रतिवेदित अवधि में शासकीय/संविहित संकल्प प्रस्तुत नहीं किये गये।

5.8 सभा के पटल पर रखे गए पत्र/प्रतिवेदन

क्र.	सत्र	प्रतिवेदन		अधिसूचनाएं		अध्यादेश	
		प्राप्त	पटल पर रखे गए	प्राप्त	पटल पर रखीं गए	प्राप्त	पटल पर रखे गए
1	मार्च-अप्रैल, 2020	00	00	00	00	00	00
2	सितम्बर, 2020	57	57	14	14	08	08
	योग	57	57	14	14	8	8

5.9 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.9.1 विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में उन सदस्यों के लिए, जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य नहीं हैं, सदन में सामान्य और अविलम्बनीय दोनों प्रकार के लोक महत्व/रूचि के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। उदाहरणतः इनमें से कुछ हैं - प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याचिकाएं, संकल्प प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, आधे घण्टे की चर्चा, मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव आदि। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को ढाई घण्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए भी अलग से रखा गया है।

5.9.2 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान विधान सभा में प्रस्तुत प्रश्न/स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण सूचनाओं आदि की जानकारी परिशिष्ट-3 में है।

अध्याय - 6

आश्वासन, प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर, शून्यकाल तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशें

6.1 आश्वासन

विधान सभा में प्रश्न या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों एवं प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्रिगण कभी-कभी कुछ आश्वासन देते हैं, जैसे कि वे इस मामले पर विचार करेंगे, कार्रवाई करेंगे, अपेक्षित जानकारी बाद में दे देंगे आदि। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य विभाग, सरकार की ओर से, इस विषय में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

विधान सभा सचिवालय सदन की दैनिक कार्यवाही में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का निःस्सारण कर उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज देता है। आश्वासनों की सूची इस विभाग को भी प्रेषित की जाती है।

विधान सभा में दिया गया आश्वासन तीन मास की समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। यदि विभाग को लगता है कि आश्वासन को पूरा करने में तीन मास से ज्यादा समय लग सकता है तो समय बढ़ाने के लिए आश्वासन समिति से निवेदन कर सकता है। विभाग किन्हीं आश्वासनों को छोड़ देने के लिए भी समिति से निवेदन कर सकता है। विधान सभा से संबंधित आश्वासनों के बारे में समय बढ़ाने/उन्हें छोड़ने के लिए विभाग सीधे ही समिति को निवेदन कर सकते हैं।

6.2 प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर

जिस प्रश्न या उसके किसी भाग के संबंध में मंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि 'जानकारी एकत्रित की जा रही है' या जानकारी प्राप्त न होने के कारण जिन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर नियत तिथि को न दिया गया हो, उन समस्त प्रश्नों के उत्तरों को विधान सभा सचिवालय द्वारा संकलित कर 'प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर' शीर्षक से मुद्रित कराया जाता है तथा अगले सत्र के प्रथम दिन सभा के पटल पर रखा जाता है। सभा के विघटन के ठीक पूर्व के सत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

6.3 शून्यकाल की सूचनाएं

मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 267-क के अधीन पढ़ी गई सूचनाओं के शासन से प्राप्त उत्तर विधान सभा सचिवालय द्वारा संकलित कर मुद्रित कराए जाते हैं और उन्हें अगले सत्र के प्रथम दिन सभा के पटल पर रखा जाता है तथा उनकी एक प्रति संबंधित सदस्य को उपलब्ध कराई जाती हैं। इस नियम के उपनियम (7) के अनुसार सभा में जो सूचनाएं पढ़ी जाती हैं उनके लिखित उत्तर शासन की ओर से 15 दिन की अवधि के भीतर भेजने की अपेक्षा की जाती है।

6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशें

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का सतत् अनुश्रवण इस विभाग द्वारा किया जाता है।

6.5 विधान सभा के लंबित कार्यों की समीक्षा

उक्त पद 6.1 से 6.4 में उल्लिखित विषयों की इस विभाग द्वारा सतत् समीक्षा की जाती है। विधान सभा सत्र आरम्भ होने के पूर्व विधायी प्रस्तावों तथा विधान सभा के लंबित कार्यों के संबंध में समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 9.3.2020, 9.7.2020 तथा 18.12.2020 को बैठकें संपन्न हुईं।

अध्याय-7
समितियां

7.1 विभागीय परामर्शदात्री समितियां

7.1.1 वर्ष 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण के आधार पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

7.1.2 वर्ष 1969 में संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्य चालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों का नाम 'परामर्शदात्री समितियां' होगा तथा इन समितियों में विचार-विमर्श अनौपचारिक ही रहेगा।

7.1.3 मध्यप्रदेश राज्य में भी केन्द्र के अनुरूप ही परामर्शदात्री समितियों का गठन इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन समितियों के गठन और कार्यकरण को विनियमित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त परिशिष्ट-4 पर हैं।

7.1.4 संसदीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को विभिन्न विभागों के लिए 34 परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया था। सरकार बदलने के कारण समितियों के पुनर्गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

7.2 अन्य समितियां

7.2.1 समितियां दो प्रकार की होती हैं - सरकारी समितियां अर्थात् सरकार द्वारा नियुक्त तथा विधान सभा समितियां अर्थात् विधान सभा द्वारा निर्वाचित या चुनी गई समितियां अथवा विधान सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित समितियां।

7.2.2 विधान सभा समितियों में विधान सभा सदस्य होते हैं जबकि सरकारी समितियों में विशेषज्ञ, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य। गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में कभी-कभी विधान सभा सदस्यों/संसद सदस्यों को भी ऐसी समितियों में नामांकित किया जाता है।

7.2.3 शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति - शासन द्वारा बनाए गए कार्य आवंटन नियमों के अधीन शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों को नामांकित किए जाने का कार्य संसदीय कार्य विभाग को सौपा गया है। सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न समितियों में सदस्यों को नियुक्त करने के पूर्व संसदीय कार्य विभाग से अवश्य परामर्श कर लें ताकि विधान सभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व समान और व्यापक रूप से सुनिश्चित किया जा सके तथा विधान सभा सदस्यों की विभिन्न संस्थाओं में नियुक्ति, अन्य संस्थाओं में उनकी सदस्यता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि, अनुभव और ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए उनका नामांकन किया जा सके।

7.2.4 विधान सभा समितियों द्वारा सामान्य रूप से लागू की जाने वाली सिफारिशें - विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली अनुशंसाओं/सिफारिशों पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुशीलन का कार्य संसदीय कार्य विभाग को सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा विधान सभा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की अभिपूर्ति करने हेतु संबंधित विभागों को समय-समय पर निर्देश तथा आवश्यक परामर्श दिया जाता है।

अध्याय - 8
वेतन तथा भत्ते

8.1 माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते

मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 'मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972' तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष को 'मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980' के अन्तर्गत निम्नानुसार वेतन-भत्ते देय हैं :-

क्र.	मद	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	नेता प्रतिपक्ष
1	वेतन	47,000/-	45,000/-	45,000/-
2	सत्कार भत्ता	48,000/-	45,000/	45,000/-
3	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	45,000/-	35,000/-	35,000/-
4	दैनिक भत्ता (रु. 1500)	45,000/-	45,000/-	45,000/-
	योग	1,85,000/-	1,70,000/-	1,70,000/-

8.2 माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष का स्वेच्छानुदान

माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान की वार्षिक राशि विभागीय आदेश दिनांक 16 मार्च, 2020 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है -

क्र.	पद	वर्तमान निर्धारित
1	अध्यक्ष	रुपये 2,50,00,000/-
2	नेता प्रतिपक्ष	रुपये 1,00,00,000/-
3	उपाध्यक्ष	रुपये 1,00,00,000/-

उक्त स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए बनाये गये नियम को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16 मार्च, 2020 को अधिसूचित किया गया है।

8.3 माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं

(क) <u>अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत</u> -

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों को 'मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972' के अंतर्गत वेतन तथा भत्ते देय हैं।

सदस्यों को निम्नानुसार वेतन-भत्ते देय हैं –

क्र.	मद	राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1	वेतन	30,000/-
2	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	35,000/-
3	दूरभाष भत्ता (चाहे टेलीफोन लगा हो या नहीं)	10,000/-
4	चिकित्सा भत्ता	10,000/-
5	स्टेशनरी भत्ता	10,000/-
6	कंप्यूटर ऑपरेटर/अर्दली भत्ता	15,000/-
	योग	1,10,000/-

अधिनियम में किसी सदस्य के आकस्मिक निधन पर उसके परिवार को रुपये 5,00,000/- अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान भी है।

सुविधाएं

(1) दैनिक भत्ता - 'मध्यप्रदेश विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957' में-

(i) स्वयं की मोटर कार से यात्रा के लिए मिलने वाले यात्रा भत्ते की दर 15 रुपये प्रति किलोमीटर है।

(ii) राज्य के भीतर मिलने वाला दैनिक भत्ता रुपये 1,500/- एवं राज्य के बाहर मिलने वाला भत्ता रुपये 2,500/- है।

(iii) सदस्य जिस दिन की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करेंगे उसी दिन का दैनिक भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है।

(iv) प्राक्कलित यात्रा भत्ता देयक की 75 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान है।

(2) रेलवे यात्रा सुविधा -'मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978' के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक को रेलवे कूपन दिये जाते हैं, जिनके द्वारा वह एक अन्य व्यक्ति के साथ राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के तथा राज्य के बाहर 10,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है।

(3) वायुयान यात्रा सुविधा - प्रत्येक विधायक को कतिपय शर्तों के अधीन वायुयान से यात्रा करने की सुविधा है।

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 में राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान की 34 यात्राएं प्रतिवर्ष करने का प्रावधान है।

(4) चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की सुविधा - प्रत्येक विधायक को वैयक्तिक तौर पर चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार आदि की सुविधा प्राप्त है।

(ख) <u>प्रशासकीय आदेशों के अन्तर्गत</u>-

(1) लेपटॉप/कंप्यूटर क्रय पर अनुदान - पंचदश विधान सभा के सदस्यों को लेपटॉप/कंप्यूटर क्रय करने पर शासन की ओर से रुपए 50,000/- तक का अनुदान प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

(2) भू-खण्ड/भवन उपलब्ध करना - ऐसे विधायकों, जिनके अथवा पत्नी/नाबालिक बच्चों के नाम पर किसी भी नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत कोई आवासीय भूखण्ड/भवन न हो, को मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल/विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास संघ द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित आवासीय भवन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।

(3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना - योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश दिनांक 12.4.2016 द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रति विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु आवंटित की जाने वाली राशि रुपये 1.85 करोड़ तथा विधायक स्वेच्छानुदान निधि रुपये 15.00 लाख निर्धारित की गई है।

(4) लिपिकीय सुविधा -विधायकों को सचिवालयीन सहायता के लिए लिपिक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(5) विधायक विश्राम गृह तथा पारिवारिक कमरों एवं गैरिजों का आवंटन तथा अध्यक्षीय पूल के शासकीय आवासों का आवंटन विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

(6) भोजनालय एवं स्वल्पाहार गृह, बैंक, पोस्ट आफिस, सब रेलवे रिजर्वेशन कक्ष, औषधालय, ए.टी.एम. आदि की व्यवस्था विधान सभा परिसर एवं विधायक विश्राम गृह में की गई है। सत्रकाल के दौरान विधायकों को विश्राम गृह से विधान सभा आने जाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।

(7) विधायक विश्राम गृह में दूरभाष की सुविधा।

8.4 भूतपूर्व विधायकों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं

(1) पेंशन तथा भत्ते - मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को 'मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972' के अंतर्गत निम्नानुसार पेंशन, भत्ते तथा सुविधाएं देय हैं:-

क्र.	मद	राशि प्रति माह (रुपयों में)
1	पेंशन	20,000/-
2	चिकित्सा भत्ता	15,000/-
	योग	35,000/-

- पेंशन में प्रतिवर्ष रुपये 800/- की वृद्धि का प्रावधान है।

(2) अतिरिक्त पेंशन - अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि तक कार्य किया है, बीस हजार रुपये पेंशन दी जाएगी।

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि तक कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।

(3) दोहरी पेंशन - पूर्व विधायकों को संसद सदस्यों की भांति दोहरी पेंशन प्राप्त करने की पात्रता है।

(4) कुटुम्ब पेंशन - मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी या आश्रित को, उसकी मृत्यु की तारीख से पेंशन देने का प्रावधान है।

कुटुम्ब पेंशन की राशि रुपये 18,000/- है। रुपये 500/- प्रतिवर्ष की वृद्धि का प्रावधान भी है।

(5) रेलवे यात्रा सुविधा - प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व विधायक को, जो पेंशन का हकदार हो, रेल के कूपन दिए जाते हैं जिनसे वह प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ, किसी भी रेल से, राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष में केवल 4,000 किलोमीटर तक की, यात्रा कर सकते हैं।

(6) चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की सुविधा - प्रत्येक भूतपूर्व विधायक को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार बनाया गया है।

परिशिष्ट-1
(देखें पद 1.1)

विभाग को सौंपे गए कार्य

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय:

(1) विधान सभा का सत्रारंभ, उसका सत्रावसान तथा उसे भंग करना एवं विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दिन निर्धारित करना।

(2) विधान सभा में विधायी तथा अन्य शासकीय कार्य का आयोजन तथा समन्वय।

(3) सदस्यों ने जिन प्रस्तावों पर सूचना दी है उन पर विचार करने के लिए सभा में शासकीय समय का आवंटन।

(4) दलों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क।

(5) विधेयकों पर प्रवर समितियों के लिए सदस्यों का चयन।

(6) शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति।

(7) विभिन्न विभागों के लिये विधान सभा सदस्यों की परामर्श समितियों का संचालन।

(8) मंत्रियों द्वारा विधान सभा में दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन।

(9) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर शासन की स्थिति।

(10) संसदीय मामलों में मंत्रि-मण्डल को सचिवालयीन सहायता।

(11) प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों में विभाग को परामर्श।

(12) विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्वय।

(13) दर्शनीय स्थलों पर विधान सभा सदस्यों के लिये शासकीय रूप से प्रायोजित दौरे।

(14) विधान सभा सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों से संबंधित मामले।

(15) संसदीय सचिव - उनके कार्य।

(16) अधिसूचनाओं, नियमों तथा अध्यादेश आदि को सदन के पटल पर रखना।

(17) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य।

(18) अध्यक्ष के परामर्श से विधान सभा सदस्यों के लिये सेमीनार, परिचर्चा (ज़ंसो) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(19) विधान सभा सदस्यों के लिए सुविधाएं।

(20) संसदीय विषयों से संबंधित संवैधानिक मामले।

(21) संसदीय विषयों पर भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से प्राप्त सन्दर्भ।

(22) राज्य विधान सभा तथा संसद के सदस्यों को शासकीय प्रकाशनों, मैन्युअल्स तथा प्रतिवेदनों का प्रदाय।

(23) विधान सभा में उठाई गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं अथवा मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 267-क के तहत दी गई सूचनाओं के अन्तर्गत सदस्यों के उत्तरों की जानकारी दिलाने हेतु अनुगमन।

(24) विलोपित।

(25) ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (विधान सभा सचिवालय की सेवा से संबंधित अथवा वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ - नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, वेतन, छुटटी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

(आ) नियमन तथा संशोधन के लिये विभाग से संबंधित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 और नियम
2. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 और नियम
3. मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 और नियम
4. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 और नियम
5. मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय और कार्यालय

कुछ नहीं।

(ई) अधिनियम के अधीन स्थापित मण्डल तथा निगम

कुछ नहीं।

(उ) ऊपर (ई) के अन्तर्गत न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा मण्डल

कुछ नहीं।

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:

1. मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा
2. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा।

परिशिष्ट-2

(देखें पद 2.1)

संसदीय कार्य विभाग

स्वीकृत पद

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1.	अपर सचिव	1	123100 - 215900
2.	उप सचिव	1	79900 – 211700
3.	अवर सचिव	3	67300 – 206900
4.	अनुभाग अधिकारी	2	49100 – 155800
5.	निजी सचिव	1	49100 – 155800
6.	सहायक ग्रेड-1 (लेखा)	1	36200 – 114800
7.	निज सहायक	1	36200 – 114800
8.	सहायक अनुभाग अधिकारी	6	36200 – 114800
9.	सहायक ग्रेड-2	6	25300 – 80500
10.	स्टेनो-टायपिस्ट	2	19500 – 62000 +125 विशेष वेतन
11.	सहायक ग्रेड-3	13	19500 – 62000
12.	वाहन चालक	2	19500 – 62000
13.	दफ्तरी	2	16100 – 50900 +50 विशेष वेतन
14.	जमादार	1	16100 – 50900
15.	भृत्य	4	15500 - 49000
16.	भृत्य-सह-फर्राश	1	15500 - 49000
17.	फर्राश	1	15500 - 49000
18.	चौकीदार	1	(जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर)
19.	स्वीपर (अंशकालिक)	1	(जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर)
	योग	50	

परिशिष्ट-3
(देखें पद 5.9.2)

प्रश्न/स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण सूचनाएं आदि

प्रश्न

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	तारांकित	अतारांकित	ग्रहित तारांकित	ग्रहित अतारांकित	अग्रह्य, निरस्त एवं व्यपगत	सदन में उत्तरित	तारांकित रूप में मुद्रित	नियम46(2) के अन्तर्गत अतारांकित रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न
1.	मार्च-अप्रैल, 2020	5428	2749	2679	538	516	4374	0	100	438
2.	सितम्बर, 2020	750	391	359	375	339	36	0	75	300
	योग	6178	3140	3038	913	855	4410	0	175	738

स्थगन प्रस्ताव

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	अग्राह्य	सदन में चर्चित	ग्राह्य
1.	मार्च-अप्रैल, 2020	16	0	0	0
2.	सितम्बर, 2020	4	4	0	0
	योग	20	4	0	0

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	सदन में प्रस्तुत	ग्राह्य	अग्राह्य	व्यपगत	शून्यकाल में परिवर्तित
1.	मार्च-अप्रैल, 2020	177	0	0	0	0	0
2.	सितम्बर, 2020	155	0	0	153	0	2
	योग	332	0	0	153	0	2

याचिकाएं

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहीत	अग्राह्य	विचाराधीन/प्रचलित
1.	मार्च-अप्रैल, 2020	7	0	3	4
	योग	7	0	3	4

अशासकीय संकल्प

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहीत	अग्राह्य	सदन में स्वीकृत	व्यपगत/ अनिर्णित	वापस
1.	मार्च-अप्रैल, 2020	47	0	0	0	0	0
	योग	47	0	0	0	0	0

नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहीत	व्यपगत/अग्राह्य		सदन में चर्चित
1.	मार्च-अप्रैल, 2020	1	0	1	0	0
2.	सितम्बर, 2020	5	0	0	5	0
	योग	6	0	1	5	0

परिशिष्ट-4
(देखें पद 7.1.3)

परामर्शदात्री समितियों के गठन तथा कार्यकरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

परामर्शदात्री समितियां (Consultative Committees) विधान सभा की स्थायी समितियों (Standing Committees) के तुल्य नहीं होंगी तथा इन समितियों के विमर्श अनौपचारिक रहेंगे और उनके सम्मिलनों में की गई चर्चाओं का कोई उल्लेख सदन में नहीं किया जाएगा।

2. सरकार इन समितियों की सदस्य संख्या सत्ताधीन दल तथा विरोधी दल के सदस्यों से सीधा संपर्क साधकर उनके द्वारा दिए गए प्राधान्य को ध्यान में रखते हुए नियत करेगी। प्रत्येक सदस्य, वह किन-किन समितियों के सदस्य के रूप में रहना चाहता है, इस संदर्भ में अपना प्राधान्य दर्शाएगा और प्रत्येक से इस प्रकार तीन प्राधान्य मांगे जाएंगे। एक सदस्य एक ही समिति में रह सकेगा।

3. समिति के किसी सदस्य की विधान सभा की सदस्यता समाप्त होने अथवा मंत्री पद पर नियुक्त होने पर उसकी उस समिति से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और यह आवश्यक नहीं होगा कि उस सदस्य के स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामांकित किया जाए।

4. प्रत्येक विभाग का संबंधित मंत्री अपने विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। जब कभी साधारण कारणों से यह संभव न हो तो सम्मेलन की अध्यक्षता विभाग के राज्य मंत्री या राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में उपमंत्री द्वारा की जाएगी अन्यथा सम्मिलन मुल्तवी कर दिया जाएगा। परामर्श समिति की बैठक की कार्यवाही जारी रखने हेतु कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बैठक में एक भी सदस्य उपस्थित हुआ तो बैठक सम्पन्न हो सकेगी। यदि दो या दो से अधिक विभागों की संयुक्त समिति बनाई जाती है, जिनके प्रभारी मंत्री पृथक-पृथक हैं, ऐसी समिति की अध्यक्षता समिति के विभागों से संबंधित प्रभारी मंत्रियों में से उपलब्ध वरिष्ठतम मंत्री द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता विभागों से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्रियों में से वरिष्ठतम राज्यमंत्री द्वारा की जाएगी। प्रभारी मंत्री/राज्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागों की पृथक-पृथक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी। किसी मंत्री का विभाग बदलने पर वह केवल उससे संबद्ध विभाग की परामर्श समिति का अध्यक्ष रह सकेगा। इस परिर्वतन को संसदीय कार्य विभाग का सचिव अधिसूचित करेगा।

5. (1) समितियों की बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान, संबंधित विभाग, समिति के अध्यक्ष से निश्चित कराकर, बैठक की प्रस्तावित तिथि से 15 दिन पूर्व अथवा कम समय उपलब्ध होने पर दूरभाष/फैक्स से समिति के नियमित सदस्यों को सूचित करेगा तथा उसकी सूचना संसदीय कार्य विभाग को भी देगा। बैठक स्थगित होने की सूचना भी संबंधित विभाग द्वारा ही दी जाएगी।

(2) बैठकों में चर्चा के लिए सुझाव आदि सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग को सीधे भेजे जाएंगे तथा संबंधित विभाग बैठक की कार्य सूची विस्तृत टीप के साथ तैयार कर समिति के सदस्यों को तथा संसदीय कार्य विभाग को बैठक से कम से कम दो दिन पूर्व वितरित करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परामर्श समिति की बैठक में संबंधित विभाग द्वारा एक नीति विषयक प्रश्न पर भी एक संक्षेपिका बनाकर रखी जा सकेगी ताकि माननीय सदस्य द्वारा उस पर विचार-विमर्श कर राय दी जा सके और शासन की नीति को अंतिम रूप देने में मदद मिले।

(3) यदि समिति के सदस्य से भिन्न कोई सदस्य किसी विशिष्ट समिति की बैठक में चर्चा के लिये किसी बात का सुझाव दे तो उसे बैठक में इन शर्तो के अध्यधीन रहते हुए आमंत्रित किया जा सकेगा कि वह ऐसी बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा। तथापि नियमित सदस्य अंतःसत्रीय कालावधि के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थित रहने के लिये प्रशासकीय आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार रहेंगे।

6. (1) सामान्यतया प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में चार बार रखी जाएगी, जिनमें से दो बैठकें अनिवार्य होंगी।

(2) परामर्श समिति की बैठक भोपाल में ही आयोजित की जाना चाहिये। यदि किन्ही कारणों से भोपाल से बाहर किन्तु राज्य के अंदर बैठक रखना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग के मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करेंगे।

(3) परामर्श समिति की बैठक में सचिव व विभागाध्यक्ष ही उपस्थित रहेंगे। यदि संबंधित विभाग के सचिव की दृष्टि में बैठक में अन्य किसी अधिकारी की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हो तो वे उनकी उपस्थिति के लिए प्रभारी मंत्री जी से अपवाद के रूप में अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

(4) किसी भी समिति का सम्मिलन -

(क) भोपाल में रखे जाने की दशा में समिति की बैठक की तिथि, स्थान पर स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

(ख) भोपाल से बाहर रखे जाने की दशा में ऐसे सम्मिलनों से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था, जैसे बैठक का स्थान, सदस्यों तथा संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था तथा आरक्षण, बैठक के समय जलपान या स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

7. प्रत्येक समिति का सम्मिलन सुचारु रुप से चलाने, अगले सम्मिलन की तारीख निश्चित कराने, उपस्थित रहने वाले सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखने तथा संबंधित मंत्री तथा सदस्यों की सहायता के लिये संसदीय कार्य विभाग का सचिव स्वयं या उसके द्वारा समय-समय पर पारित सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार नाम-निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।

8. विशिष्ट विषयों पर सम्मिलनों में हुई चर्चाओं का संक्षिप्त अभिलेख एवं वृत्त (Minutes) जिनके लिए पर्याप्त सूचना दी जा चुकी हो, सदस्यों में परिचालित किया जाएगा। संबंधित विभाग प्रत्येक सम्मिलन के वृत्त तैयार कर अगले सम्मिलन की तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व संबंधित सदस्यों को भेजेगा तथा उसकी एक प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी भेजेगा।

9. जहां समिति के विचारों में मतैक्य हो तो सरकार सामान्य रूप से उस विचार को मान लेगी, किन्तु निम्नलिखित अपवादों के साथ, अर्थात:-

(1) कोई ऐसा विचार जिसमें वित्तीय विवक्षाएं सन्निहित हों

(2) कोई ऐसा विचार जो राज्य की सुरक्षा से संबंधित हो, और

(3) कोई भी ऐसा विषय जो स्वायत्त निगम की व्याप्ति के अन्तर्गत आता हो,

विचार से सहमत न होने की दशा में समिति को उसके कारण बतलाए जाएंगे।

10. ये समितियां समस्त विभागों के लिए बनायी जाएंगी।

11. समितियों का गठन अथवा पुनर्गठन सामान्यतः बजट सत्रों के समय ही किया जायगा। यह कार्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा। परन्तु समितियों में अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन, जैसे - मंत्रि-मण्डल में फेरबदल के फलस्वरूप समितियों की सूचियों में संशोधन अथवा उप-चुनावों में निर्वाचित हुए सदस्यों का विभिन्न समितियों में मनोनयन आदि संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग इन समितियों के गठन/पुनर्गठन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन को अधिसूचित करेगा। समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

12. इन समितियों में विधान सभा सदस्य ऐसे किसी भी विषय या विषयों पर चर्चा कर सकेंगे जिन पर कि यथोचित रूप से विधान सभा में चर्चा की जा सकती हो। तथापि सदन में ऐसी किसी बात को, जो परामर्श समितियों में हुई हो, उल्लेख करना वांछनीय नहीं होगा।

भाग - दो

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ

अध्यक्ष
डॉ. नरोत्तम मिश्रा

महानिदेशक
श्री आई.सी.पी. केशरी

संचालक
श्री प्रतिमा यादव

उप संचालक
श्री एम.के. राजोरिया

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ

(माह जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 तक सम्पादित कार्यक्रमों/गतिविधियों की जानकारी)

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर भोपाल में दिनांक 24.04.1998 से संसदीय विद्यापीठ कार्यरत है। विद्यापीठ एवं इसकी नियमावली मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत है। विद्यापीठ का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

2. उद्देश्य –

1	संसदीय लोकतंत्र के संबंध में लोकरूचि को जागृत करने के लिए जन संचार माध्यमों का उपयोग।
2	पंचायतों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विधान-मंडल के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उसके लिए साहित्य तैयार करना।
3	संसद/विधान मंडल/अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्यवाही को प्रतिवेदित करने वाले पत्रकारों को प्रशिक्षण।
4	विधान मंडल सचिवालय और अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
5	शालेय और महाविद्यालयीन स्तर पर जिला/संभागीय एवं राज्य स्तरीय आदर्श संसद प्रतियोगिता का आयोजन करना।
6	देश के विभिन्न विधान-मंडलों के प्रक्रिया/नियमों/अध्यक्षीय आदेशों, परिपाटियों का सार संग्रह तैयार करना और उसका प्रकाशन।
7	संविधान और संसदीय लोकतंत्र से संबंधित सैद्धांतिक विषयों पर इन्टरफेकल्टी शोध कार्य सम्पादित करना।
8	संसदीय विषयों पर निबंध/लेख प्रतियोगिता/वाद-विवाद, सेमीनार आयोजित करना।
9	संसदीय संग्रहालय एवं अभिलेखागार की स्थापना करना।
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के सहयोग एवं समन्वय से की जाती है।	

3. संरचना - माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री एवं श्री आई.सी.पी. केशरी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, संसदीय विद्यापीठ के क्रमश: पदेन अध्यक्ष एवं महानिदेशक हैं। श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग 30.01.21 तक संसदीय विद्यापीठ के महानिदेशक थे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 20 पद स्वीकृत हैं, विवरण परिशिष्ट - एक पर अवलोकनीय है।

4. साधारण सभा/प्रबंध समिति - संसदीय विद्यापीठ के कार्य संचालन हेतु माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग की अध्यक्षता में साधारण सभा एवं प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है।

5. अनुदान - संसदीय कार्य विभाग के वर्ष 2020-2021 के बजट में रुपये 1.36 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

6. <u>संसदीय विषयों में कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं</u> –

6.1 (1) संसदीय विद्यापीठ द्वारा शासकीय, अर्द्धशासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों एवं अधिकारियों के निजी स्टाफ, शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों आदि के लिए एक/दो एवं तीन दिवसीय **"संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया"** से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विधान सभा की कार्यवाही/भवन का अवलोकन कराया जाता है। यथासंभव विधान सभा के अधिकारियों से भेंट कराई जाती है।

(2) एक दिवसीय प्रशिक्षण - भोपाल से बाहर के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गए।

(3) दो दिवसीय प्रशिक्षण – भोपाल स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये।

(4) तीन दिवसीय प्रशिक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2019 के संदर्भ में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम - संसदीय विद्यापीठ द्वारा माह जनवरी, 2020 से माह जनवरी, 2021 तक 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1824 प्रशिक्षणार्थियों को संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक 25 ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट – दो पर है।

(5) संसदीय कार्यशाला - मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में विद्याथियों को संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए निम्नानुसार राशि आवंटित की गई:-

क्रमांक	शिक्षण संस्थान	आवंटित राशि	कुल रुपये
1	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	20x5,000	1,00,000/-
2	विद्यालय	4 x5,000	20,000/-
		योग	1,20,000/-

6.2 (1) युवा संसद अभिविन्यास पाठ्यक्रम – कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष युवा संसद प्रभारियों के लिए आयोजित किए जाने वाले अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका।

(2) युवा संसद प्रतियोगिता - भोपाल स्थित शिक्षण संस्थाओं में उक्त अवधि में युवा संसद प्रतियोगिता के अधीन मंचन कराने हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की गई –

क्रमांक	शिक्षण संस्थान	आवंटित राशि	कुल रुपये
1	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	8x10,000	80,000/-
2	विद्यालय	10 x10,000	1,00,000/-
		योग	1,80,000/-

युवा संसद प्रतियोगिता पुरस्कार – शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के युवा संसद प्रतियोगिता 2019-20 के विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कार दिये जाएंगे -

शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय			
1	द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, भोपाल	प्रथम	15,000/-
2	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भेल, भोपाल	द्वितीय	10,000/-
3	केरियर विधि महाविद्यालय, भोपाल	तृतीय	5,000/-
शासकीय विद्यालय			
1	शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चूनाभट्टी, भोपाल	प्रथम	15,000/-
2	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोविंदपुरा, भोपाल	द्वितीय	10,000/-
3	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरखेड़ी, भोपाल	तृतीय	5,000/-
अशासकीय विद्यालय			
1	सरस्वती बाल मंदिर/उ.मा. विद्यालय, बागदिलकुशा, भोपाल	प्रथम	15,000/-
2	सेंट पॉल सीनियर सेकेण्ड्री को-एड स्कूल, भोपाल	द्वितीय	10,000/-
3	इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, मिसरोद, भोपाल	द्वितीय	10,000/-
4	देहली पब्लिक स्कूल, नीलबड, भोपाल	तृतीय	5,000/-
5	वर्ल्ड वे इन्टरनेशनल स्कूल, भोपाल	तृतीय	5,000/-
पूर्व वर्षों की भांति उपर्युक्त शिक्षण संस्थाओं के चयनित विद्यार्थियों को इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए संसद भ्रमण नहीं कराया गया।			

(3) **युवा संसद मंचन** – मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद मंचन कराने हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की गई -

क्रमांक	शिक्षण संस्थान	आवंटित राशि	कुल रूपये
1	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	15x10,000	1,50,000/-
2	विद्यालय	4x10,000	40,000/-
		योग	1,90,000/-

(4) **वित्तीय सहायता** – विद्यालयीन युवा संसद भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। वर्ष 2018-19 में युवा संसद मंचन में व्ययित राशि रुपये 6,02,540/- के विरूद्ध संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अधिकतम राशि रुपये 5,00,000/- की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 2019-20 में युवा संसद मंचन में व्ययित राशि की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से पुरस्कार वितरण के बाद भेजा जाएगा।

6.3 (1) विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन ऑन-लाईन वाद-विवाद प्रतियोगिता – भोपाल के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को **"परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति सफल है?"** विषय पर ऑन-लाईन वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 महाविद्यालयों के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निम्नलिखित विद्यार्थी विजेता घोषित किए गए –

क्र.	नाम एवं कक्षा	शिक्षण संस्थान	स्थान	पुरस्कार राशि
1	कु. निकिता रोकड़े बी.एड. तृतीय सेमेस्टर	आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन, भोपाल	प्रथम	10,000/-
2	कु. इरिना बघेल बी.एड. तृतीय सेमेस्टर	अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल	द्वितीय	7,500/-
3	श्री देवाशीष सक्सेना, बी.ए. पंचम सेमेस्टर	जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	तृतीय	5,000/-
4	कु. मनीषा तोमर, एम.ए. प्रथम वर्ष	शासकीय महाविद्यालय, भेल, भोपाल	सांत्वना	2,500/-
5	कु. प्रेरणा मिश्रा एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर	पीपुल्स पत्रकारिता एवं शिक्षण संस्थान, भोपाल	सांत्वना	2,500/-

(2) विद्यालयीन ऑन-लाईन वाद-विवाद प्रतियोगिता - भोपाल के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों (9वीं से 12वीं तक) हेतु दिनांक 29, जनवरी 2021 को **"क्या लोकतंत्र की रखवाली सिर्फ जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है?"** विषय पर ऑन-लाईन वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विद्यालयों के 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निम्नलिखित विद्यार्थी विजेता घोषित किए गए –

क्र.	नाम एवं कक्षा	शिक्षण संस्थान	स्थान	पुरस्कार राशि
1	कु. सानिया मीणा ग्यारहवीं	ज्ञानगंगा इंटरनेशनल अकादमी, भोपाल	प्रथम	10,000/-
2	कु. दीक्षा कटारे ग्यारहवीं	सागर पब्लिक स्कूल, रोहित नगर, भोपाल	द्वितीय	7,500/-
3	श्री विकास प्रजापति ग्यारहवीं	सरस्वती बाल मंदिर उ.मा. विद्यालय, बालदिलकुशा, भोपाल	तृतीय	5,000/-
4	कु. संघमित्रा तोमर बारहवीं	दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीलबड़, भोपाल	सांत्वना	2,500/-
5	कु. रिया नायक बारहवीं	रेडरोज हायर सेकेण्डरी स्कूल बैरसिया रोड, भोपाल	सांत्वना	2,500/-

(3) जिला स्तरीय ऑन-लाईन वाद-विवाद प्रतियोगिता - भोपाल के बाहर, मध्यप्रदेश के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में **"भारतीय संसद द्वारा पारित कृषि कानून किसानों के लिए हितकर है?"** विषय पर जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता के ऑन-लाईन आयोजन हेतु 7 उत्कृष्ट विद्यालयों को रुपये 10,000/- प्रति विद्यालय के मान से राशि आवंटित की गई।

जिला स्तरीय ऑफलाईन वाद-विवाद प्रतियोगिता हेतु जनवरी, 2020 में उत्कृष्ट विद्यालय, दमोह को रुपये 12,000/- की राशि आवंटित की गई।

क्र.	संस्थान	आवंटित राशि	कुल रूपये
1	उत्कृष्ट विद्यालय	10,000x7	70,000/-
2	उत्कृष्ट विद्यालय	12,000x1	12,000/-
		योग	82,000/-

6.4 (1) प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता - वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु 'विधान सभा में पक्ष एवं विपक्ष की भूमिका' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें पूरे प्रदेश से 149 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।

निम्नलिखित प्रतिभागी विजेता घोषित किये गये–

क्र.	नाम एवं कक्षा	शिक्षण संस्थान	स्थान	पुरस्कार राशि
1	सोनम बन्देवार कला संकाय तृतीय वर्ष	शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा	प्रथम	10,000/-
2	प्रांजल गुप्ता बी.ए.एल.एल.बी.आनर्स चतुर्थ सेमेस्टर	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	द्वितीय	7,500/-
3	खुशबू यादव बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला	तृतीय	5,000/-
4	कविता कुशवाह बी.ए.सी.ए. प्रथम वर्ष	संत सिंगाजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट संदलपुर, देवास	प्रोत्साहन	2,500/-
5	भावना राजपूत बी.ए. प्रथम वर्ष	सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर(स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल	प्रोत्साहन	2,500/-

वर्ष 2020-2021 में प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता **'भारत चीन संबंध'** विषय पर आयोजित की जा रही है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रदेश स्तरीय विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता - वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश के विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु 'लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें पूरे प्रदेश से 227 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं थीं। निम्नलिखित प्रतिभागी विजेता घोषित किये गये –

क्र.	नाम एवं कक्षा	शिक्षण संस्थान	स्थान	पुरस्कार राशि
1	दिव्यांश सोनी नवीं	शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, सागर	प्रथम	10,000/-
2	सुहानी जैन नवीं	रेड रोज स्कूल, हाउसिंग बोर्ड, करोंद, भोपाल	द्वितीय	7,500/-
3	पूजा परमार ग्यारहवीं	जवाहर नवोदय विद्यालय, घट्टिया, उज्जैन	तृतीय	5,000/-
4	सृष्टि गुप्ता नवीं	जवाहर नवोदय विद्यालय, चुरहट, सीधी	प्रोत्साहन	2,500/-
5	वर्षा वर्मा ग्यारहवीं	जवाहर नवोदय विद्यालय, हटा, जिला-दमोह	प्रोत्साहन	2,500/-

वर्ष 2020-21 में विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता 'संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में नई शिक्षा नीति की भूमिका' विषय पर आयोजित की जा रही है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.5 व्याख्यानमाला - विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, अतिथि विद्वानों, शोधार्थियों एवं विद्यालयों के अध्यापकों, भोपाल के विद्यार्थियों के लिए संसदीय विषयों पर राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय व्याख्यानमाला कराई जाती है। दिनांक 28.08.2020 को 'लोकतंत्र और आत्मनिर्भर भारत' विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान-माला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षण संस्थाओं के 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7. पुण्य स्मरण - पंडित कुंजीलाल दुबे जी की जन्मतिथि 18 मार्च एवं पुण्यतिथि 2 जून को उनका स्मरण कर श्रृद्धा सुमन अर्पित किए गए।

परिशिष्ट-एक

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत		रिक्त
			नियमित	प्रतिनियुक्ति	
1	संचालक	1	0	1*	0
2	उप संचालक	1	0	0	1**
3	शोध अधिकारी	1	0	0	1
4	निज सहायक	1	1	0	0
5	अधीक्षक	1	0	0	1
6	शीघ्रलेखक	3	3	0	0
7	लेखापाल	1	1	0	0
8	सहायक	2	1	0	1
9	सहायक प्रोग्रामर	1	0	0	1
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	1	0	0
11	सहायक ग्रेड-3	1	1	0	0
12	वाहन चालक	1	1	0	0
13	भृत्य	5	2	0	3***
	योग	20	12	1	7

*डॉ. प्रतिमा यादव, प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग से संचालक पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं।

**श्री एम.के.राजोरिया, अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, संसदीय विद्यापीठ में उप संचालक के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

***श्री राजेन्द्र सिंह नेपाली, भृत्य दिनांक 31.10.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने से एक भृत्य की सेवाएं आउटसोर्स से ली गई हैं।

सहायक के रिक्त पद के विरूद्ध एक उच्च कुशल श्रमिक की सेवाएं आउटसोर्स से ली गई हैं।

परिशिष्ट-दो

माह जनवरी, 2020 से माह जनवरी, 2021 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण क्र.	विवरण	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	8-9 जनवरी, 2020	46
2	सैम कन्या महाविद्यालय, भोपाल	22-23 जनवरी, 2020	48
3	बी.एस.एस.एस. महाविद्यालय, भोपाल	24-25 जनवरी, 2020	45
4	बी.एस.एस.एस. महाविद्यालय, भोपाल	28-29 जनवरी, 2020	36
5	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	30-31 जनवरी, 2020	40
6	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	4-5 फरवरी, 2020	38
7	राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय, भोपाल	6-7 फरवरी, 2020	45
8	सेफिया कला, वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, भोपाल	12-13 फरवरी, 2020	36
9	चंद्र शेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर	17 फरवरी, 2020	41
10	सेक्ट कॉलेज, भोपाल	19-20 फरवरी, 2020	53
11	शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	25-26 फरवरी, 2020	41
12	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल	27-28 फरवरी, 2020	45
13	राजीव गांधी विधि महाविद्यालय, भोपाल	2-3 मार्च, 2020	49
14	शासकीय गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	5-6 मार्च, 2020	43
15	आइपर कॉलेज, भोपाल	11-12 मार्च, 2020	39
16	श्री सत्य सांई महिला महाविद्यालय, भोपाल	17-18 अगस्त, 2020	45
17	इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, भोपाल	26-27 अगस्त, 2020	41
18	सेंटपॉल सीनियर सेकेण्ड्री को-एड स्कूल, भोपाल	1-2 सितम्बर, 2020	48

प्रशिक्षण क्र.	विवरण	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
19	सेंटपॉल सीनियर सेकेण्ड्री को-एड स्कूल, भोपाल	3-4 सितम्बर, 2020	42
20	शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चूना भट्टी, भोपाल	12-13 अक्टूबर, 2020	33
21	सेंट जार्ज सीनियर सेकेण्ड्री को-एड स्कूल, भोपाल	15-16 अक्टूबर, 2020	38
22	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पचौर, जिला-राजगढ़	22 अक्टूबर, 2020	60
23	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी	28 अक्टूबर, 2020	30
24	शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	3-4 नवम्बर, 2020	65
25	शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	6-7 नवम्बर, 2020	59
26	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	10-11 नवम्बर, 2020	28
27	इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, भोपाल,	1-2 दिसम्बर, 2020	49
28	शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बागसेवनियां, भोपाल	22-23 दिसम्बर, 2020	25
29	शासकीय महाविद्यालय, बहोरीबंद, जिला-कटनी	28 दिसम्बर, 2020	66
30	शासकीय महाविद्यालय बलवाड़ी, जिला-बड़वानी	29 दिसम्बर, 2020	65
31	लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	6 जनवरी, 2021	40
32	लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	7 जनवरी, 2021	37
33	लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	8 जनवरी, 2021	38
34	केरियर विधि महाविद्यालय, भोपाल	12-13 जनवरी, 2021	54
35	सरदार अजीत सिंह मेमोरियल (सैम) महाविद्यालय, भोपाल	18-19 जनवरी, 2021	36

प्रशिक्षण क्र.	विवरण	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
36	सरस्वती बाल मंदिर/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल	20-21 जनवरी, 2021	43
37	केरियर विधि महाविद्यालय,	22-23 जनवरी, 2021	41
38	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उदयगिरी, रायसेन	25 जनवरी, 2021	64
39	शासकीय महाविद्यालय, नरेला, भोपाल	27-28 जनवरी, 2021	46
40	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायसेन	30 जनवरी, 2021	86
		योग	1824

नोट्स

प्रदेश माध्यम/2021